राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-७०१६/०६

विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२२.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री चेतन बैरवा, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
अनुसंधान अधिकारी व्यक्तिश: उपस्थित.

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या- ७२/२००४ पुलिस थाना- भुसावर, भरतपुर अपराध अन्तर्गत धारा- ३/७ आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि उसे राजनीतिक रंजिश के कारण इस मामे में झूंठा लिप्त किया गया है उसकी कोई केरोसिन की दुकान नहीं है और न ही वह किसी भी तरह का व्यापार अपने भाई दिनेश मीणा की दुकान किराये पर लेकर करता है। उनका यह भी तर्क है कि यह मामला सन् २००४ से लम्बित है तथा अनेक बार इस मामले में अन्वेषण हो चुका है पूर्व में उसके विरूद्ध कोई मामला न बनना पाते हुए अन्तिम नेगेटिव रिपोर्ट देने के निष्कर्ष में पुलिस पहुंच गयी थी लेकिन पुन: राजनीतिक दबाव के कारण सी आई डी द्वारा अन्वेषण प्रारम्भ कर सरसरी अनुसंधान के आधार पर पुलिस उसे इस मामले में गिरफ्तार करने पर उतारू है । उनका यह भी तर्क रहा है अन्वेषण से यह बात स्पष्ट है कि दिनेश मीणा द्वारा उक्त दुकान को राजवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी - मालाखेड़ा को दिनांक २७.२.२००४ को रिकाये पर दी गयी थी, इससे भी स्पष्ट है कि अभियुक्त- प्रार्थी का उक्त दुकान से जप्त किये गये १० ड्रम नीले केरोसिन से कोई सम्बद्ध नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त-प्रार्थी गांव में अवैध रूप से नीले रंग के केरोसिन जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ही वितरित किया जा सकता है, के व्यापार में लिप्त था, जिसकी सूचना मिलने पर दिनांक ३.३.२००४ को तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा

राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या ११ ग्राम ऊलूपुरा स्थित अभियुक्त- प्रार्थी के कब्जे की उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें १० ड्रम २१० लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से कुल २१०० लीटर नीले रंग का केरोसिन तेल अवैध रूप से संग्रहित होना पाया गया। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त-प्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपनी गिरफ्तारी को किसी न किसी रूप से टालता रहा है लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण में आया है कि प्रार्थी-अभियुक्त विजय सिंह को बचाने के लिए उसके भाई दिनेश मीणा द्वारा एक फर्जी किराया नामा किसी राजवीर सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से निष्पादित किया है जबकि राजवीर सिंह निवासी- मालाखेड़ा जिला- अलवर नामका कोई व्यक्ति ही नहीं है तथा यह केवल मात्र स्वयं को बचाने के लिए जाली दस्तावेज के माध्यम से एक असफल प्रयास किया गया है । उनका यह भी तर्क रहा है कि विवादित दुकान के पास ही व्यापार करने वाले व्यक्तियों से भी इस मामले में अन्वेषण करने पर यह आया है कि अभियुक्त- प्रार्थी विजय सिंह ही उक्त दुकान पर अवैध रूप से नीले रंग के केरोसिन तेल को संग्रहित करने का कारोबार करता है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

पुलिस द्वारा इस मामले में दौरान अन्वेषण यह साक्ष्य एकत्रित की गयी है कि प्रार्थी-अभियुक्त के भाई दिनेश द्वारा विवादित दुकान जहां से अवैध रूप से संग्रहित नीले केरोसिन तेल को जप्त करना बताया गया है, को राजवीर सिंह नामक व्यक्ति को किराये पर दिया जाना बताते हुए किराया नामा निष्पादित किया गया है जबकि राजवीर सिंह निवासी- मालाखेड़ा जिला- अलवर के नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं नहीं पाया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा कुछ आस पास व्यापार करने वाले व्यक्तियों की भी साक्ष्य एकत्रित की गयी है जिसमें अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा ही नीले केरोसिन तेल को संग्रहित कर अवैध रूप से व्यापार करना बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)